

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल- 462023

दूरभाष 0755- 2583650, फ़ैक्स न. 0755 - 2583651

भोपाल, दिनांक 04-06-2018

क्रमांक / विद्या / पी. / छा.प्रो.यो. / 2018 / 1845-
प्रति,

1. कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
जिला पंचायत , मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- दिनांक 11 जून 2018 को "प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजनान्तर्गत " लेपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम।


संदर्भ:- क्रमांक / विद्या / पी. / छा.प्रो.यो. / 2018 / 1626-1627 भोपाल, दिनांक 23.05.2018

—00—

"प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजनान्तर्गत " लेपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम दिनांक 28 मई, 09 जून 2018 को स्थगित किया गया था, अब यह आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में दिनांक 11 जून 2018 को आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जाति वर्ग के 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों तथा अन्य वर्गों के 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले 22034 विद्यार्थियों को लेपटाप क्रय हेतु राशि रूपये 25000/- एवं सम्मान पत्र दिया जायेगा।

आयोजन में समस्त 51 जिलों से आने वाले विद्यार्थियों की परिवहन/आवास व्यवस्था के संबंध में पूर्व निर्देश के अनुसार अन्य जिलों में आवास व्यवस्था वाले जिले के विद्यार्थी एवं भोपाल में आवास व्यवस्था वाले विद्यार्थी दिनांक 10 जून 2018 को सांयकाल 07.00 बजे के पूर्व अपने नियत आवास स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 11 जून 2018 को सीधे भोपाल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले जिले प्रातः 10.30 बजे कार्यक्रम स्थल लाल परेड ग्राउंड भोपाल पहुंचेंगे।

आयोजन के संबंध में अन्य निर्देश पूर्व की भांति यथावत् रहेंगे।



(जयश्री कियवत)
आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र. L

पृ0क्रमांक / विद्या / पी. / लैपटॉप. / 2018 / 1846-
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 04/6/2018.

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. संचालक, अपरसंचालक, संयुक्त संचालक, उप-संचालक, सहायक संचालक, विशेष कर्तव्य अधिकारी समस्त लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र. L